# सप्तदश बिहार विधान सभा

## पंचम सत्र

## दैनिक विवरणिका

संख्या-08 बुधवार, दिनांक-09 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.51 बजे अपराह्न तक।

[1] आसन की सूचना :-

बाबा कामेश्वरनाथ महादेव के श्रीचरणों में बसे और आधुनिक बिहार के निर्माता तथा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के गृह जिला शेखपुरा में सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के क्रम में आयोजित बाल-युवा संसद में सम्मिलित वहाँ के होनहार बाल-युवा साथी आज हमारे बीच मौजूद हैं। वह दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से रू-ब-रू हो रहे हैं। इन बच्चों ने उस समय अपनी अद्भुत लालसा, सक्रियता और लगन से बाल-युवा संसद में प्रशंसनीय भागीदारी कर माहौल को सकारात्मक बनाया था। मैंने उनसे वादा किया था कि आप सभी को विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए जरूर मौका दूँगा।

मेरा आपसे आग्रह है कि सदन में हम अपने आचरण को मर्यादित रखकर नियम और परंपरा का पालन करते हुए रचनात्मकता से जनहित में सार्थक विमर्श कर ऐसा माहौल बना दें ताकि ये बच्चे जब यहाँ से जायें तो उनके मन में विधायिका और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा मूल्यों के प्रति गहरी आस्था हो और बड़े होकर वह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकें।

[2] प्रश्नकाल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 18 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iii) 250 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-50 के निस्तारण के दौरान माननीय नेता विरोधी दल द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर में दिये गये आँकड़ों पर आपत्ति दर्ज किया गया, जिसपर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि एक सप्ताह के अन्दर आँकड़ों की जाँच करवाकर शंका का समाधान किया

जायेगा। अगर प्रश्न के उत्तर में किसी विभागीय अधिकारी ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है या गलत आँकड़ा दिया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

तत्पश्चात आसन द्वारा कहा गया कि सदन माननीय सदस्यों के विश्वास पर खड़ा उतरता है। यदि कोई माननीय सदस्य शंका जाहिर करते हैं और सरकार सजग होकर एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए तैयार है तो हम सबों को इसे स्वीकारना चाहिए। सदन इसी तरह से सकारात्मक वातावरण में चलता है। आप सभी माननीय सदस्य बिहार की जनता के लिए अपनी बातों को रखते हैं और सरकार भी जनता के लिए काम कर रही है। आसन पूरे सदन को संरक्षित करती है ताकि प्रश्न का सही जवाब आये। सरकार यदि सही जवाब नहीं देती है तो आसन उसको समय-समय पर निर्देशित भी करता रहता है, नियमन भी देता है और आज जब सरकार ने स्वयं कहा है कि एक सप्ताह के अंदर आंकड़ों की जांच कराकर सदन को अवगत करायेगा तो आपको सहयोग करना चाहिए। किसी भी विभागीय पदाधिकारी ने अगर उत्तर में गलत आंकड़ा दिया है तो सरकार उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या-996 के निस्तारण के दौरान माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा कहा गया कि अगर कोई पदाधिकारी गलत जवाब देकर माननीय मंत्री के माध्यम से सदन को गुमराह करता है या इसकी कोशिश करता है और यह साबित हो जाता है कि उसने गलत जवाब दिया है तो सरकार के द्वारा निश्चित कार्रवाई की जायेगी।

आसन द्वारा कहा गया कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि यदि माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर सदन में गलत आ रहे हैं तो वैसे माननीय सदस्य आवेदन कर आसन को इसकी सूचना दे सकते हैं। आसन अपने स्तर से इसे विभाग को भेजकर माननीय मंत्री से इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये पदाधिकारी पर की गयी कार्रवाई से आपको अवगत करायेगा।

आसन द्वारा पुन: कहा गया कि मंत्री और सरकार जितनी जिम्मेवार है उतनी ही जिम्मेवारी आप सभी माननीय सदस्यों की भी है। आप सरकार का प्रतिनिधित्व अपने-अपने क्षेत्र में करते हैं। आपको भी अपने प्रश्न के जवाब की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पूरी सजगता से सरकार को बताना होगा।

दलीय नेताओं की बैठक में हम सब मिलकर तय करेंगे कि जो पदाधिकारी पत्र का जवाब नहीं देते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, गलत जवाब देकर सदन को गुमराह करते हैं, उनके लिए दण्ड का क्या प्रावधान होगा ताकि विधायिका और मजबूत हो सके। विधायिका को हर हाल में मजबूत करना हम सबकी जिम्मेवारी है और सरकार भी इसमें सहयोग के लिए तत्पर है।

**आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में 17 (सतरह) माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न वर्ग-3 से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है।**

**[3] कार्यस्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव, श्री सत्यदेव राम, श्री अवध विहारी चौधरी, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री कुमार सर्वजीत, श्री भूदेव चौधरी, श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री बागी कुमार वर्मा, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री विनय कुमार, श्री राकेश कुमार रौशन, मोहम्मद कामरान, श्री अखतरूल ईमान, श्री मुहम्मद इजहार असफी, श्री सुदामा प्रसाद, श्री अरूण सिंह, श्री रामरतन सिंह, श्री शमीम अहमद, श्री सुर्यकान्त पासवान, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री महबूब आलम, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री महा नंद सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री गोपाल रविदास, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

**[4] शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री मुकेश कुमार यादव | (ii) | डॉ० निक्की हेम्ब्रम |
| (iii) | श्री ललित नारायण मंडल | (iv) | श्री विनय कुमार चौधरी |
| (v) | श्री अवध बिहारी चौधरी | (vi) | श्री रामबली सिंह यादव |
| (vii) | श्री ललन कुमार | (viii) | श्री भूदेव चौधरी |
| (ix) | श्री मो० इसराईल मंसूरी | (x) | श्री प्रणव कुमार |
| (xi) | श्री मो० अनजार नईमी | (xii) | श्री सउद आलम |
| (xiii) | श्री निरंजन राम | (xiv) | श्री संजय सरावगी |
| (xv) | श्री पवन कुमार जायसवाल | (xvi) | श्री मिथिलेश कुमार |
| (xvii) | श्रीमती नीतु कुमारी | (xviii) | श्री भरत बिंद |
| (xix) | श्री अमरजीत कुशवाहा | (xx) | श्री मोहम्मद कामरान |
| (xxi) | श्री समीर कुमार महासेठ | (xxii) | श्री बागी कुमार वर्मा |
| (xxiii) | श्री मुरारी प्रसाद गौतम | (xxiv) | श्री विनय कुमार |
| (xxv) | श्री छोटेलाल राय | (xxvi) | श्री शमीम अहमद |
| (xxvii) | श्री प्रमोद कुमार सिन्हा | (xxviii) | श्री राजेश कुमार गुप्ता |
| (xxix) | श्री मिश्री लाल यादव | (xxx) | श्री राकेश कुमार रौशन |
| (xxxi) | श्री राजेश कुमार सिंह | (xxxii) | श्रीमती भागीरथी देवी |
| (xxxiii) | श्री राम रतन सिंह | (xxxiv) | श्रीमती शालिनी मिश्रा |
| (xxxv) | श्री मो० इजहार असफी | (xxxvi) | श्री महा नंद सिंह |
| (xxxvii) | श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव | (xxxviii) | श्री सुर्यकान्त पासवान |
| (xxxix) | श्रीमती प्रतिमा कुमारी | (xl) | श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी |
| (xli) | श्रीमती मंजु अग्रवाल | (xlii) | श्री मनोज मंजिल |
| (xliii) | श्री अरूण सिंह | (xliv) | श्रीमती ज्योति देवी |
| (xlv) | श्री मनोज कुमार यादव | (xlvi) | श्री अरूण शंकर प्रसाद |
| (xlvii) | श्री छत्रपति यादव | (xlviii) | श्री संजय कुमार सिंह |
| (xlix) | श्री राजवंशी महतो | (l) | श्री विद्या सागर केशरी |
| (li) | श्री चन्द्रहास चौपाल | (lii) | श्री संजय कुमार गुप्ता |
| (liii) | श्री प्रेम शंकर प्रसाद | (liv) | डॉ० संजीव कुमार |
| (lv) | श्री विजय कुमार मण्डल | (lvi) | श्री इजहारूल हुसैन |
| (lvii) | श्री राम सिंह | (lviii) | श्री रण विजय साहु |
| (lix) | श्री राम विशुन सिंह | (lx) | श्री ऋषि कुमार |
| (lxi) | श्री विनय बिहारी | (lxii) | श्री सुदामा प्रसाद |
| (lxiii) | श्री सुधाकर सिंह | (lxiv) | श्रीमती संगीता कुमारी |
| (lxv) | श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता | (lxvi) | श्री गोपाल रविदास |
| (lxvii) | श्री सत्यदेव राम | (lxviii) | श्री महबूब आलम |
| (lxix) | श्री रामवृक्ष सदा | (lxx) | श्रीमती रश्मि वर्मा |

आसन द्वारा कहा गया कि शून्यकाल की सूचनाओं के तहत तात्कालिक लोक महत्व के विषय को रखें, तात्कालिक विषय की शून्यकाल सूचनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

[5] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी एवं अन्य सभासदों का पथ निर्माण विभाग से संबंधित तथा दिनांक 03 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री नितीन नवीन द्वारा दिया गया।

आसन द्वारा पथ माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग को ग्रामीण कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर इसे प्राथमिकता के आधार पर देख लेने की बात कही गयी।

(ii) माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता एवं अन्य सभासदों का समाज कल्याण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी।

(iii) माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का मंत्रिमंडल सचिवालय/सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि चूंकि इसमें कई विभाग के विषय शामिल है, इसलिए सभी संबंधित विभागों से विमर्श कर इसका सकारात्मक हल निकाला जायेगा।

आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय को इस विषय पर अगले सत्र से पहले कोई सकारात्मक हल निकालने का आग्रह किया गया।

तत्पश्चात सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

**भोजनावकाश के बाद**

(02.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] **वित्तीय कार्य :-**

**वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-02 (जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान:-**

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री संजय कुमार झा द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की माँग एवं कटौती प्रस्ताव निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री चेतन आनंद

   (इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)
2. श्री रामप्रवेश राय
3. श्री राजवंशी महतो
4. श्री रामविलास कामत
5. श्री संतोष कुमार मिश्र
6. श्री अरूण शंकर प्रसाद
7. श्री प्रहलाद यादव
8. श्री जितेन्द्र कुमार
9. श्री अरूण सिंह
10. श्री राजेश कुमार सिंह
11. श्री अखतरूल ईमान
12. श्री सुरेन्द्र राम

13. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
14. श्री आबिदुर रहमान
15. श्री अजय कुमार
16. श्रीमती स्वर्णा सिंह
17. श्री सुर्यकांत पासवान
18. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव
19. श्री बीरेन्द्र कुमार
20. श्री सुधांशु शेखर

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

तत्पश्चात् माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, डॉ० रामप्रीत पासवान द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित सरकार की योजना को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री संजय कुमार झा ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदानों की माँग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 49 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-10 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-09.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।